न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :— 116/2023

स्टेट जरिये श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

—प्रार्थी

—:बनामः—

आलोक कुमार जैन पुत्र राजेन्द्र कुमार (मालिक एवं विक्रेता)
मैसर्सः—श्री बीकानेर वस्तु भंडार, वार्ड नं. 19, संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
निवासीः—वार्ड नं. 19, संगरिया, जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 52

उपस्थितः—

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी एवं अप्रार्थी स्वयं।

—:निर्णयः—

दिनांक :—14.08.2024

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुदेश कुमार गर्ग दिनांक 31.03.2023 को समय शाम 04.45 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः—श्री बीकानेर वस्तु भंडार, वार्ड नं. 19, संगरिया, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर आलोक कुमार जैन पुत्र राजेन्द्र कुमार (विक्रेता) निवासी—वार्ड नं. 19, संगरिया, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास दुकान में अलमारी के खाने में Rose Sharbat (Ajmera Brand) 750 मिलीलीटर वजनी प्लास्टिक सील्ड बोतल करीब 12 नग तैयारशुदा आमजन जनता के बेचान वास्ते रखे हुये थे। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 04 मूल सील्ड बोतल 750 मिलीलीटर वजनी Rose Sharbat (Ajmera Brand) नमूना जांच वास्ते क्रय कर ली। मौके पर ही विक्रेता को Rose Sharbat (Ajmera Brand) के खरीद मूल का 520/—रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा Rose Sharbat (Ajmera Brand) कुल 750 मिलीलीटर वजनी 04 मूल सील्ड बोतल पर चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर कर चिपकाया। ऊपर से प्रत्येक सील्ड बोतल को मोटे खाकी कागज में लपेटकर किनारों को सफाई से मोड़कर उन पर खाद्य नमूना कोड एवं अनुक्रमांक एके—2559 एवं अन्य विवरण दर्ज कर चारों पैकेटों पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे खाकी कागज में लपेटकर ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके—2559 को चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से चार—चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं0 6 कार्यालय में तैयार किया एवं नमूना सील किया गया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.08.27 17:18:22 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 487 दिनांक 17.04.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Misbranded Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/6964–65 दिनांक 24.04.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात् कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्रांक 12742 दिनांक 28.07.2023 द्वारा विक्रेता को 07 दिवस में फर्म का खाद्य लाइसेंस/प्रोपराईटर पहचान पत्र/जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं संबंधित माल Rose Sharbat (Ajmera Brand) का क्रय बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया परंतु संबंधित द्वारा प्रतिउतर में क्रय बिल उपलब्ध नहीं होना बताया गया। प्रार्थी (आवेदक) द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Misbranded खाद्य पदार्थ Rose Sharbat (Ajmera Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Rose Sharbat (Ajmera Brand) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसकी पावती संलग्न पत्रावली है।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर बहस की गई कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मिथ्या व मनगढंत तथ्य पेश कर अप्रार्थी को झूठा फसाया गया है। अप्रार्थी द्वारा रोज शरबत अपने घर के उपयोग हेतु खरीद की थी। उक्त बोतल को घर ले जाने से पहले अप्रार्थी द्वारा दुकान के काउंटर पर रखा हुआ था। अप्रार्थी द्वारा दुकान पर बोतलों को बेचान के उददेश्य से नहीं रखा हुआ था। उक्त शरबत की बोतलों को लैब टेस्ट के लिये भेजा गया, जो अपने मापदंड में सही पाई गई थी। केवल मात्र विनिर्माण व शरबत पर एक्सपायरी तिथि अंकित नहीं थी। अंत में अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा उक्त कार्यवाही को निरस्त किये जाने बाबत निवेदन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस में लैब रिपोर्ट अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय की गई Rose Sharbat (Ajmera Brand) की जांच में Misbranded की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Misbranded Rose Sharbat (Ajmera Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Misbranded कृत्य के लिए धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 8,000/–(अखरे रूपये आठ हजार मात्र) की शास्ति आरोपित [illegible] यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं [illegible] जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से [illegible] रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को [illegible]

यह निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को लि[illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.08.27 17:18:22 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़